

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2025
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0140 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 05/06/2025 13:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)

3. (a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना):

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From**
(दिनांक से): 27/09/2021 **Date To**
(दिनांक तक): 27/09/2024
- Time Period** पहर **Time From**
(समय अवधि): (समय से): 16:30 बजे **Time To**
(समय तक): 16:00 बजे
- (b) **Information received at P.S.** **Date**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): (दिनांक): 05/06/2025 **Time**
(समय): 12:00 बजे
- (c) **General Diary Reference** **Entry No.**
(रोजनामचा संदर्भ): (प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय): 05/06/2025 13:24:24 बजे

4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित

5. **Place of Occurrence** (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 04 किमी **Beat No.**
(बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** MAUHALLA MARETHIYAWAS, RAMGANJ BAZAR,ALWAR
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S** **District(State)**
(थाना का नाम): (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Mahendra Kumar Meena

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 10/10/1971

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Near AirPort Road, Taruchaya Nagar, Tonk Road, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Near AirPort Road, Taruchaya Nagar, Tonk Road, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TARUNESH KUMAR		पिता:KAMLAKAR VERMA	1. MARETHIYA BAAS, ARAVALI PRES KI GALI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,71,112.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,71,112.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2021 को श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक (लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही करने पर श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक, एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा, जरिये दूरभाष मन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी द्वितीय को श्री तरुणेश वर्मा सूचना सहायक के रिहायसी मकान मौहल्ला मरेठियाबास, रामगंज बाजार अलवर खाना तलाशी हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.09.2021 को ही मन उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वितीय द्वारा आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक (लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के आवासीय मकान मौहल्ला मरेठियाबास, रामगंज बाजार अलवर की स्वतंत्र गवाहान के सामने खाना तलाशी जरिये फर्द ली गई खाना तलाशी के दौरान आरोपी के मकान से धरेलु सामान, बैंक पास बुक दस्तावेजाद ज्वारात आदि सामान के साथ कमरा नं 1 में रखी अलमीरा से 303000/- (तीन लाख तीन हजार रुपये) की नगद राशि बरामद हुई थी उक्त तीन लाख तीन हजार रुपये की राशि को वास्ते जांच कब्जा एसीबी लिया गया किया गया था। उक्त खाना तलाशी की जांच पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने पर जांच के दौरान आरोपी श्री तरुणेश कुमार को बरामद राशि कहा से प्राप्त हुई के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किया गया उक्त के क्रम में श्री तरुणेश कुमार सूचना सहायक द्वारा कोई तारकिक एवं तथ्यात्मक तथा रिकार्ड आधारित जवाब नहीं दिया जाने पर आरोपी के निवास/आवास की खाना तलाशी में मिले सामान/दस्तावेज आदि के मुकाबले संकलित साक्ष्य से आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक राजकीय सेवा में वर्ष 2013 से नियुक्त होकर सूचना प्रौद्योगिक व संचार विभाग राजस्थान सरकार में सूचना सहायक के पद पर विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहा है एवं वक्त कार्यवाही दिनांक 27.09.2021 को परिवहन विभाग अलवर में सूचना सहायक के पद पर पदस्थापित था आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक की प्रथम नियुक्ति तिथि वर्ष 2013 से 27.09.2021 तक की अवधि का बैंक पीरियड मानते हुये आरोपी अर्जित आय एवं व्यय राशि की तालिका प्रपत्र अ, ब, स, द, गणना की गई। प्रपत्र "अ" आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक (लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर की बैंक पीरियड प्रथम नियुक्ति 01.01.2013 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण क्रं.सं. परिसम्पत्तियों का विवरण खरीदने/निवेश करने की दिनांक व वर्ष परिसम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान परिसम्पत्ति उपलब्ध होने का विवरण 1. आरोपी द्वारा वर्ष 01.01.2000 को यूको बैंक अलवर में खाता संख्या 00870100019029 के स्टैटमेंट अनुसार दिनांक 01.01.2013 को अंतिम खाता शेष की राशि 2177/-रुपये है। 1.01.2000 से 1.1.2013 तक आरोपी के स्वयं के नाम 2177/- 2 योग:- 2177/- प्रपत्र "ब" बैंक पीरियड के अन्त में आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक (लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के पास मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण क्रम सं. परिसम्पत्ति का विवरण खरीदने/निवेश दि./वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसम्पत्ति की खरीद का मूल्य 1. 2 3 4 5 2 दौराने तलाशी मिले धरेलू सामान की अनुमानित कीमत 01.01.2013 से 27.09.2021 तक स्वयं आरोपी 3,62,100 3 खाना तलाशी के दौरान आरोपी के मकान मोहल्ला मरेठियाबास रामगंज बाजार अलवर की खाना तलाशी में नगद मिली राशि 303000/- रुपये की राशि बरामद हुई है, दौराने खाना तलाशी उक्त राशि में से 103000/- रुपये की राशि आरोपी की पत्नी श्रीमती रीना द्वारा अपनी छोटी बहन नीरू की होना बताया। दौराने जांच श्रीमती नीरू द्वारा दिये गये शपथ पत्र में अपनी स्वयं की होना बताया था। श्रीमती नीरज (नीरू) द्वारा उक्त राशि अपने स्वयं के मकान निर्माण हेतु ठेकेदार को देने हेतु रखना बताया है। श्रीमती नीरू द्वारा उक्त राशि के बारे में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। एवं 200000 लाख रुपये अपने पिताजी के होना बताया है, और बताया है कि मकान किराया व ट्रान्सपोर्ट से होने वाली आय का पैसा होना अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है, आरोपी द्वारा उपरोक्त राशि उक्त दोनो की होने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर उक्त राशि को आरोपी की आय में जोड़ा गया है। 27.09.2021 स्वयं आरोपी 3,03,000 4 प्रपत्र ब के क्रम संख्या 3 पर एसबीआई बैंक के खाता संख्या 61177469421 पर दिनांक 16.08.2021 को अंतिम बैलन्स 9392070/-रुपये अंकित किया गया है। निर्देशानुसार दिनांक 27.09.2021 को अंतिम बैलेन्स 2467016.51 रुपये है। 27.09.2021 स्वयं आरोपी 2467016 5 प्रपत्र ब के क्रम संख्या 4 पर आरोपी के बैंक खाता संख्या 0870100019029 के दिनांक 24.09.2021 को अंतिम बैलेन्स 92451.50/-

रूपये बैंक स्टेट मेन्ट में अंकित है। दिनांक 24.09.2021 के बाद सीधे ही दिनांक 5.10.2021 का बैंक स्टेट मेन्ट में अंकन प्राप्त हुआ है। इसलिये दिनांक 24.09.2021 के अंतिम बेलन्स 92451/-रूपये का अंकन किया गया। 27.09.2021 स्वयं आरोपी 92451 योग:- 3,224,567/- प्रपत्र 'स' चेक अवधि में आरोपी, उसकी पत्नी, बच्चों की शुद्ध आय क्रम सं. आय का शिर्षक विवरण आय प्राप्ति की दि./वर्ष अवधि किसके द्वारा आय अर्जित की गई- आरोपी से संबंध शुद्ध आय (राशि) 1. एस.ओ. के 01.01.2013 व जीए-55 वर्ष 2014 से 27 सितम्बर .2021 तक वेतन भत्तो से शुद्ध आय इनकम टैक्स, एसआई, सीपीएफ एवं अन्य कटौतियों के बाद मुताबिक जीए 55 नोट:- आरोपी के उपलब्ध जीए-55 अनुसार मार्च 2014 से 27.9.2021 तक कुल 3130701/-रूपये सकल वेतन के रूप में प्राप्त हुये चूँकि सेवा विवरण अनुसार आरोपी की नियुक्ति दिनांक 01.01.2013 में होना पाई गई है, दिनांक 01.01.2013 से फरवरी 2014 तक का जीए 55 उपलब्ध नहीं होने से मार्च 2014 में प्राप्त वेतन 10740/- के आधार पर कुल 13 महिने का वेतन 1,39,620/-रूपये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल सकल आय 31,30,701 + 1,39,620 = 32,70,321/-रूपये प्राप्त हुये हैं जीए 55 अनुसार उक्त अवधि में आयकर, एसआई, सीपीएफ आदि की 356117/-रूपये की कुल कटौती हुई है तथा उक्त कटौती के बाद 29,14,204/- की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। वर्ष 01.01.2013 से 27.09.2021 तक स्वयं आरोपी द्वारा 29,14,204/- 2 एसबीआई बैंक में संचारित खाता सं 61177469421 में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से आय मुताबिक स्टेटमेंट खाता खुलने से 27.09.2021 तक स्वयं आरोपी को 160047 3 यूको बैंक में संचारित खाता सं 00870100019029 में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से आय मुताबिक स्टेटमेंट 1.1.2013 से यूको बैंक में संचारित खाता सं 00870100019029 में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से आय मुताबिक स्टेटमेंट 4 योग:- 31102895/- प्रपत्र 'द' चेक अवधि में आरोपी उसकी पत्नी बच्चों द्वारा किये गये खर्चों का विवरण क्रं.सं. क्रम सं. खर्च का शिर्षक विवरण खर्च करने की दि./वर्ष अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया-आरोपी से संबंध 1. मुताबिक जीए 55 एस.ओ. के 3270321/-रूप. सकल वेतन के रूप में प्राप्त हुये हैं जिसमें से आयकर की राशि 272001 कम करने पर 2998320/- की राशि शेष रहती है उक्त शेष राशि का 1/3 राशि 999440/-रूपये असत्यापनीय व्यय, की राशि है। वर्ष 2013 से दिनांक 27.09.21 आरोपी स्वयं द्वारा 999440 2 आरोपी के पुत्र एवं पुत्री पर स्कूली शिक्षा पर आरोपी द्वारा किया गया अनुमानित व्यय 1.50 लाख रूपये वर्ष 2013 से 27.09.2021 आरोपी स्वयं द्वारा आरोपी के पुत्र एवं पुत्री पर स्कूली शिक्षा पर आरोपी द्वारा किया गया अनुमानित व्यय 1.50 लाख रूपये योग:- 1149440/- आरोपी की राज्यसेवा से पूर्व में अर्जित सम्पत्ति, आरोपी तथा उसकी पत्नी, बच्चों की आय, व्यय, आरोपी की सम्पत्तियों तथा आरोपी की पत्नी व बच्चों के खर्चों की गणना कर खाना तलाशी की जांच से आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक द्वारा वर्ष 2013 से 27.09.2021 तक की चैक अवधि के दौरान से अर्जित आय 3102895/- (इकतीस लाख दो हजार आठ सौ पित्तानवे) रूपये की तुलना में कुल 4374007/- (तैतालीस लाख, चौहत्तर हजार, सात) रूपये की परिसम्पत्तियां अर्जित करना पाया गया है जो कुल 1271112/- (बारह लाख इकेत्तर हजार ए सौ बारह) रूपये आय से अधिक का (छ/घ गुणा 100) 1271112»3102895 गुणा 100 40.96 प्रतिशत अधिक अर्जित करना पाया गया है। आरोपी श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक (लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर द्वारा राजकीय सेवा में वर्ष 2013 नियुक्त होकर अपने सेवाकाल में विभिन्न विभागों में एवं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पदस्थापित रहते हुए एवं हाल जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित के द्वारा चैक अवधि में अपने ज्ञात आय वैध स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से 1271112/- (बारह लाख इकेत्तर हजार ए सौ बारह) रूपये की अवैध परिसम्पत्तियां अर्जित करना पाया जाने पर श्री तरुणेश कुमार, सूचना सहायक तत्कालीन प्रभारी लाईसेन्स नवीनीकरण/प्रतिलिपि शाखा, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी) भ्र.नि.अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया बखूबी बनना पाया गया है। अतः श्री तरुणेश कुमार पुत्र श्री कमलाकर वर्मा निवासी मरेठिया बास अरावली प्रेस की गली अलवर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर तत्का. सूचना सहायक शाखा लाईसेन्स नवीनीकरण एवं प्रतिलिपि शाखा कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर के विरुद्ध अपने ज्ञात आय वैध स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से 1271112/- (बारह लाख इकेत्तर हजार ए सौ बारह) रूपये की अवैध परिसम्पत्तियां अर्जित करना स्पष्ट रूप से पाये जाने पर आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी) भ्र.नि.अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी) भ्र.नि.अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तरुणेश कुमार पुत्र श्री कमलाकर वर्मा निवासी मरेठिया बास अरावली प्रेस की गली अलवर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर तत्का. सूचना सहायक शाखा लाईसेन्स नवीनीकरण एवं प्रतिलिपि शाखा कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर हाल

सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 659 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 812-15 दिनांक 05.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. निदेशक सचिव एवं विभागीय अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): Ravindra Singh Rank or (या)
(जाँच अधिकारी का नाम): Shekhawat (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan, IN
Date: 05/06/2025 13:27



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/06/1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (चाब)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)